

सी.सी.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग
कोटा रोड़, बम्बाला, प्रतापनगर, जयपुर

कपडे धुलवाई हेतु निविदा प्रपत्र

वर्ष 2017-18

निविदा मुल्य : 500/- रूपये मात्र

सी.सी.एस. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग
कोटा रोड़, बम्बाला, प्रतापनगर, जयपुर

कपड़े धुलाई हेतु
तकनीकी-निविदा

1.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम:	
2.	फर्म के मालिक का नाम:	
3.	फर्म का रजिस्टर्ड पता (टेलीफोन, फ़ैक्स व ई-मेल सहित)	
4.	फर्म का रजिस्ट्रेशन किस श्रेणी का है: (फोटो प्रति संलग्न करें)	
5.	फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
6.	फर्म का जी.एस.टी. नम्बर, यदि हो तो (फोटो प्रति संलग्न करें)	
7.	सरकारी/निजी संस्थाओं की सूची जहाँ पर फर्म द्वारा धुलाई का कार्य किया जा रहा है, पिछले एक साल की।	
8.	फर्म के कारखाने में कुशल कार्मिकों की सूची	
9.	फर्म के कारखाने में धुलाई, प्रेस एवं ड्राईक्लीनिंग से संबंधित क्या-क्या मशीनें हैं ? मशीनों की सूची संलग्न करें।	
10.	पिछले दो वार्षिक रिटर्न की कॉपी संलग्न करें।	

निविदादाता के हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक सहित)

कपड़े धुलवाई हेतु निविदा प्रपत्र एवं अनुबन्ध की शर्तें

1. निविदाएँ निर्धारित प्रपत्र में दी जानी अनिवार्य हैं ।
2. निविदादाता द्वारा अंकित दरें अंको के साथ-साथ शब्दों में भी लिखी जानी आवश्यक हैं ।
3. अंकित की जाने वाली दरें उसी इकाई में अंकित की जायेंगी जिसमें कि वह चाही गई है । चाही गई इकाई से भिन्न दरे स्वीकार्य नहीं होगी ।
4. निविदादाता द्वारा अंकित की गई किसी अन्य प्रकार की शर्त को स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
5. फर्म की रजिस्टर्ड प्रमाण प्रत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें ।
6. अनुबन्ध की अवधि 1 वर्ष की होगी । उक्त अवधि के पश्चात दोनों पक्षों की सहमति से आगामी एक साल तक विस्तार किया जा सकेगा ।
7. अनुबन्धकर्ता फर्म कॉन्ट्रैक्ट को किसी अन्य एजेन्सी एवं फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात् सबलेट नहीं कर सकेगा ।
8. संस्थान न्यूनतम दर वाली निविदा को स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार संस्थान का होगा ।
9. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बयाना राशि के रूप में रु 10000/- रूपये की राशि महानिदेशक नियाम, जयपुर के पक्ष में देय डिमान्ड ड्रफ्ट अथवा पे - आर्डर के रूप में जमा करानी होगी । निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जायेगी तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि संस्थान द्वारा लौटा दी जावेगी ।
10. बयाना राशि का समपहरण निम्न स्थिति में किया जा सकेगा :-
 1. निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात, किन्तु निविदा की स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है ।
 2. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता ।
 3. जब प्रदाय आदेश दिये जाने के पश्चात नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता ।
 4. जब निर्धारित समय में सप्लाई प्रारम्भ करने में विफल रहता है ।
11. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 100/- रु नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर संस्थान द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पड़ेगा । तथा अनुबन्धकर्ता को निविदा की राशि का 5 प्रतिशत बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में

संस्थान में नकद अथवा डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा पे – आर्डर के रूप में जमा करानी पड़ेगी । यह राशि अनुबन्ध के संतोषजनक निषपादन होने की स्थिति में अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने पर वापस लौटा दी जावेगी । इस राशि पर संस्थान द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

12. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में महानिदेशक नियाम, जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा तथा यदि परिस्थितिवश किसी प्रकार का कानूनी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा जयपुर के न्यायालय में ही किया जायेगा ।
13. संस्थान को जो कपड़े धुलवाई कराने हैं उसके लिए संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा धुलवाई के लिए कपड़े आवंटित किए जावेंगे निविदादाता उन अनुमोदित नमूनों के लिए ही अपनी दरें प्रस्तुत करें ।
14. अनुबन्धकर्ता के लिए यह आवश्यक होगा कि आदेश दिये जाने के सात दिवस के भीतर आदेशित मात्रा में कपड़े धुलवाई कर दें । यदि सप्लाई में विलम्ब होता है तो संस्थान को नियमानुसार बिल में से कटौती करने का अधिकार होगा जो कि अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो सकती है तथा कटौती के संबंध में अन्तिम निर्णय संस्थान के महा निदेशक महोदय का होगा ।
15. यदि निर्धारित अवधि में अनुबन्धकर्ता कपड़े धुलवाई करने में असफल रहता है अथवा निम्न स्तर का सामान काम लेता है तो संस्थान को यह अधिकार होगा कि बाजार से वैकल्पिक व्यवस्था कर ले तथा इस कार्यवाही में यदि संस्थान को किसी प्रकार का अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा तो अन्तर की राशि अनुबन्धकर्ता से वसूली योग्य होगी ।
16. निविदादाता, निविदा में अपनी दरें एफ.ओ.आर. नियाम अंकित करे ।
17. निविदा की सभी दरें टेक्सपेड अंकित की जाये । संस्थान किसी प्रकार की टेक्स की राशि का भुगतान पृथक से नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का प्रमाण पत्र देने की बाध्यता संस्थान की होगी ।
18. कपड़े धुलवाई की सप्लाई हेतु संस्थान द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा ।
19. संतोषजनक रूप से कपड़े धुलवाई न करने पर संस्थान को किसी भी समय पूर्व नोटिस के द्वारा अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार होगा ।
20. निविदा पर किसी भी प्रकार की कांट-छांट या ओवर राईटिंग के कारण समिति द्वारा निविदा को निरस्त भी किया जा सकता है अथवा निविदा खोलने वाली समिति का निर्णय निविदादाता को मान्य होगा ।

निविदादाता के हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक सहित)

निविदादाता द्वारा दरें अंकित करने हेतु विवरण

क्रम सं.	मद का नाम तथा विवरण	दर प्रति नग अंकों में	दर प्रति नग शब्दों में	विशेष विवरण
1.	डबल बैड कवर			
2.	सिंगल बैड कवर			
3.	डबल बैड शीट			
4.	सिंगल बैड शीट			
5.	पिलो कवर			
6.	टॉवल बड़ा			
7.	टॉवल छोटा			
8.	पर्दे			
9.	कम्बल / रजाई कवर			
10.	ऊनी कम्बल			
11.	सोफा ड्राईक्लीन सिंगल सीटर			
12.	सोफा ड्राईक्लीन डबल सीटर			
13.	सोफा ड्राईक्लीन ट्रिपल सीटर			
14.	मैट्रेस सिंगल बैड			
15.	मैट्रेस डबल बैड			

निविदादाता के हस्ताक्षर (सील एवं दिनांक सहित)